

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर
(पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका)
केम्प-.....*प.व.दि.२५*

प्रकरण संख्या 20/2021
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

पदेन सहा.कलक्टर, गंगापूर
निर्णय दिनांक 29.10.2021.

प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक
विद्यालय मटूनिया
सहाड़ा
तह० सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चावण्डिया व भू०अ०नि० कोशीथल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मटूनिया तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 161 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	मटूनिया	161	ग्राम मटूनिया प०ह० चावण्डिया के आराजी न० 2264/2222 रकबा 0.78 हे० किस्म गे०मु०खेल मैदान भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर मटूनिया के नाम दर्ज रेकार्ड है।	ग्राम मटूनिया प०ह० चावण्डिया के आराजी न० 2264/2222 रकबा 0.78 हे० किस्म गे०मु०खेल मैदान भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर मटूनिया के नाम दर्ज भूमि उक्त विद्यालय रा०मा०वि० मटूनिया में मर्ज होने से उक्त भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मटूनिया के नाम दर्ज की जाती है।

Pr
प्रधानाधिकारी
(राजेश सुवालका)
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापूर
दिनांक 29.10.2021



प्रकरण संख्या 20/2021/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मटूनिया तह० सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

Pr
प्रधानाधिकारी
(राजेश सुवालका)
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी एवं)
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापूर